

## अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फसल मोचन योजनान्तर्गत ऋणी कृषकों को फसल मोचन प्रमाणपत्र का वितरण जनपद एवं तहसील स्तरीय एक दिवसीय कैम्पों के माध्यम से किया जाना है जिसके लिए टेन्टज, कुर्सी, मंच, लाइट, साउण्ड एवं वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी आदि की व्यवस्था हेतु दिनांक: 31.08.2017 को अपराह्न 1:00 बजे तक इच्छुक पंजीकृत कान्ट्रेक्टर से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदाओं को दिनांक: 31.08.2017 को ही अपराह्न 2:00 बजे निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

(धनराशि-रूपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा का मूल्य
1	जनपद स्तरीय कैम्प	10,00000 /-	20,000 /-	500 /-
2	तीन तहसील स्तरीय कैम्प	7,50000 /-	15000 /-	375 /-

अतः उपरोक्तानुसार पृथक-पृथक धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला कृषि अधिकारी, एटा के पक्ष में देय तकनीकी पत्र के साथ संलग्न कर वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों में बन्द कर निविदा एकल बड़े लिफाफे के माध्यम से डालना होगी। बिना धरोहर धनराशि के निविदापत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता को कार्य की लागत का 10 प्रतिशत जिला कृषि अधिकारी, एटा के पक्ष में देय राष्ट्रीय बचतपत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के मियादी जमा रसीदों इत्यादि के रूप में देना होगा। निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह कभी भी बिना बताये निविदा को निरस्त कर सकती है इस पर किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद नहीं किया जा सकता। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, एटा या वेबसाइट WWW.etah.nic.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

(डा० सर्वेश कुमार यादव)  
जिला कृषि अधिकारी,  
एटा।

कार्यालय जिला कृषि अधिकारी-एटा।

पत्रांक: 721 / फसल मोचन योजना / 2017-18 / दिनांक: 24-8-17

प्रतिलिपि: निम्नोक्त की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान समाचारपत्रों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञापन सूक्ष्म में राजकीय दरों पर प्रकाशित करते हुए हुए बिल जिला सूचना अधिकारी, एटा से प्रमाणित करा कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना अधिकारी, एटा / जिला उद्यान अधिकारी, एटा

3. उप कृषि निदेशक, एटा / तहसील क्रोडाधिकारी, एटा

4. मुख्य विकास अधिकारी-एटा

5. जिलाधिकारी महोदय, एटा।

जिला कृषि अधिकारी,  
एटा।